न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रदीप सिंह सांगावत (आर0 ए0 एस0)

प्रा0पत्र संख्या :– 12/2018 (बाजदायरी)
आरसीएमएस संख्या :– 2018/00150

उनवान

1. नैमीचन्द शर्मा पुत्र जगन्नाथ जाति ब्राहम्ण निवासी कारवान, तहसील भुसावर जिला भरतपुर।

.....प्रार्थी

बनाम

1. रोहित पुत्र नैमीचन्द शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी कारवाना तहसील भुसावर जिला भरतपुर राज0 हाल शिव सदन चौकण्डी पाडा भुसावर जिला भरतपुर।
2. मधु शर्मा पत्नि नैमीचन्द पुत्री मदनलाल पटवारी जाति ब्राहम्ण निवासी कारवान तहसील भुसावर जिला भरतपुर हाल शिव सदन चौकण्डी पाडा भुसावर जिला भरतपुर।

.....असल अप्रार्थी

3. अमरचन्द (मृतक)
   - 3/1. भागीरथ 39 पुत्र अमरचन्द
   - 3/2. लोकेश 24 पुत्र अमरचन्द
   - 3/3. सुमन उम्र 28 वर्ष पुत्री अमरचन्द
   - 3/4. रेखा उम्र 24 वर्ष पुत्री अमरचन्द
   - 3/5. सुशीला उम्र 53 वर्ष पत्नि अमरचन्द

   जाति ब्राहम्ण निवासी कारवान, तहसील भुसावर जिला भरतपुर।
4. भगवत (मृतक)
   - 4/1. राहुल उम्र 24 वर्ष पुत्र भगवत
   - 4/2. इन्द्रजीत उम्र 22 वर्ष पुत्र भगवत
   - 4/3. मिथलेश उम्र 33 वर्ष पुत्री भगवत
   - 4/4. विजयलक्ष्मी उम्र 27 वर्ष पुत्री भगवत
   - 4/5. अंगूरी उम्र 52 वर्ष पत्नि भगवत

   जाति ब्राहम्ण निवासी कारवान, तहसील भुसावर जिला भरतपुर।
5. बाबूलाल पुत्र जगन्नाथ
6. कुसुम पत्नि ओमप्रकाश जाति वैश्य निवासी कस्बा बयाना जिला भरतपुर।
7. शशि कुमारी पत्नि सत्य प्रकाश जाति वैश्य निवासी कस्बा बयाना जिला भरतपुर।
8. सपना पत्नि अमित कुमार जाति वैश्य निवासी कस्बा बयाना जिला भरतपुर।
9. भरविता पुत्री विजय कुमार जाति वैश्य निवासी कस्बा बयानाा जिला भरतपुर।
10. भाग्य श्री पुत्री नैमीचन्द जाति वैश्य निवासी कारवान तहसील भुसावर जिला भरतपुर।
11. तहसीलदार भरतपुर जिला भरतपुर।

.....तरतीवी अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 19 सपठित धारा 151जा0दी0, बाबत् पुनः नम्बर पर लेने

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील संख्या 28/2016 उनवानी नैमीचन्द शर्मा बनाम रोहित निर्णय दिनांक 05.02.2018।

अभिभाषकगण :–

1. श्री विजय सिंह झारोटिया अधिवक्ता प्रार्थी, उपस्थित।
2. श्री सुघड सिंह अधिवक्ता अप्रार्थी, उपस्थित।

निर्णय दिनांक :– 26.04.2019

1. यह बाजदायरी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के आदेश दिनांक 05.02.2018 के विरूद्ध पेश किया गया है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि न्यायालय हाजा द्वारा निर्णय दिनांक 05.02.2018 को अपील संख्या 28/2016 उनवानी नैमीचन्द शर्मा बनाम रोहित, बार–बार आवाज दिलवाये जाने के बाबजूद अपीलाण्ट एवं उनके अभिभाषक के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण अदम हाजरी, अदम पैरवी एवं न्यायालय हाजा के आदेशो की पालना नहीं करने के कारण, अदम तकमील में खारिज की गयी थी। न्यायालय हाजा के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलाण्ट/प्रार्थी ने यह बाजदायरी प्रार्थना पत्र दिनांक 22.06.2018 को प्रस्तुत किया गया है।

2. बाजदायरी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्यायालय हाजा की पत्रावली को शामिल मिसल किया गया एवं अप्रार्थी को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना– पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए तर्क दिये कि पेशी दिनांक 05.02.2018 को न्यायालय श्रीमान् के समक्ष विचाराधीन थी। अपीलाण्ट तहसील भुसावर में दूर दराज स्थान का रहने वाला है तथा हर तारीख पर उपस्थित होने में असमर्थ रहता है तथा उसकी ओर से वकील साहब ही पैरवी करते रहे हैं। उक्त पेशी दिनांक को वकील साहब की पुत्री की शादी होने के कारण वह भी न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं हो सके थे। लिहाजा अपील खारिज हो गयी। प्रार्थी अपीलाण्ट उक्त अपील को शुद्धभाव से लडना चाहता है। यदि प्रार्थी/अपीलाण्ट की अपील, नम्बर पर नहीं ली गयी तो प्रार्थी/अपीलाण्ट को अपरमित क्षति होगी। मियाद के बिन्दु पर वकील प्रार्थी का तर्क है कि उक्त आदेश प्रार्थी/अपीलाण्ट की बैक पर पारित हुआ है अतः उन्हें अपील के खारिज होना का ज्ञान नहीं था। अपील के खारिज होने की सूचना उन्हें अपने अधिवक्ता से उनकी पुत्री की शादी के कामकाज से मुक्त होने पर दिनांक 15.06.2018 को प्राप्त हुयी। अतः जानकारी की दिनांक से प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद ग्रहण किया जाकर, अपील को पुनः नम्बर पर लेने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि न्यायालय हाजा का आदेश दिनांक 05.02.2018 विधि अनुरूप सही है। प्रार्थी/अपीलाण्ट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 19 मियाद बाहर पेश किया गया है अतः मियाद के बिन्दु पर ही प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। गुणावगुण पर उनका तर्क है कि न्यायालय हाजा द्वारा अपीलाण्ट को रैस्पो0 की तलवी हेतु रजिस्टर्ड सम्मन तलवाना पेश करने हेतु कई अवसर दिये जाने के बाबजूद कोई ध्यान नहीं देने के कारण अदम तकमील में खारिज की गयी है। इसके अतिरिक्त उनका यह

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

भी कथन है कि अपील अदम तकमील में खारिज होने के कारण अब इसे वापस नम्बर पर नहीं लिया जा सकता है। ऐसे आदेश के विरूद्ध अपील नहीं रिवीजन की जानी चाहिए। अतः प्रार्थना पत्र संधारणीय नहीं होने के कारण काबिल खारिजी है।

5. हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया एवं बहस उभयपक्ष पर मनन किया। हम पाते हैं कि मूल अपील दिनांक 26.07.2016 को न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर हुई एवं रैस्पो0 की तलवी हेतु दिनांक 05.02.2018 तक लम्बित रही। न्यायालय हाजा ने दिनांक 24.04.2017 को रैस्पो0 की तलवी हेतु पुनः रजिस्टर्ड सम्मन तलवाना पेश करने एवं रैस्पो0 संख्या 03 के फौत होने के कारण कायम मुकाम कार्यवाही करने के आदेश प्रदान किये गये, किन्तु प्रार्थी/अपीलाण्ट द्वारा दिनांक 24.04.2017 से दिनांक 05.02.2018 तक, 10 माह का समय व्यतित होने के उपरान्त भी रैस्पो0 की तलवी हेतु सम्मन तलवाना एवं रैस्पो0 संख्या 03 के कायम मुकाम की कार्यवाही नहीं की गयी। पेशी दिनांक 05.02.2018 को अपीलाण्ट एवं उनके अभिभाषक के न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं होने के कारण अदम हाजरी, अदम पैरवी एवं अदम तकमील में खारिज हुई। हस्तगत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी/अपीलाण्ट का कथन है कि वह शुद्ध भाव से अपील का निस्तारण मैरिट पर कराना चाहता है। हमने मनन किया। प्रार्थी/अपीलाण्ट अपनी अपील के संचालन में लापरवाह रहा है, इस तथ्य को नजरअन्दाज नहीं किया जा सकता। अपनी स्वयं की लापरवाही के रहते अनुतोष प्राप्त करने की पात्रता क्षीर्ण होती है। किन्तु इसकी पूर्ति कोस्ट से की जा सकती है। न्यायालय का अस्तित्व पक्षकारों को न्याय उपलब्ध कराने के लिए है, तकनीकी आधार पर विवाद की उपेक्षा करना न्यायालय का ध्येय नहीं हो सकता है। केवल तकनीकी आधार पर निस्तारण से न्याय का हनन होता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर, तकनीकी आधार पर प्रार्थना पत्र को खारिज करने के बजाय, अपील का गुणावगुण पर निर्णय करना अधिक न्यायोचित होगा। लिहाजा हम प्रार्थना पत्र(बाजवा) कोस्ट पर स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

6. अतः आदेश है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी 1000/— अक्षरे एक हजार रूपये कोस्ट विधिक सहायता समिति में जमा कराने की शर्त पर स्वीकार किया जाता है। कोस्ट की रसीद प्रस्तुत करने पर मूल अपील को पुनः नम्बर पर लेने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

7. निर्णय आज दिनांक 26.04.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर